International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 1, January 2018
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

किसान आन्दोलन और क्रान्तिकारी राष्ट्रीयतावाद

Poonam dayal
Research scholar,Magadh university (Bodhgaya)Bihar

1934 भारत के स्वतं=ता संग्राम के इतिहास में एक युग का अन्त और दूसरे का प्रारंभ हुआ। नये युग की हलचलों का पुनर्निरीक्षण आरंभ करने के पूर्व देश के राष्ट्रीय इतिहास में दो अन्य तत्व के क्रिया–कलापों का समझना आवश्यक है। इस काल के अन्य तत्व सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं समाज सुधार के हेतु जेहाद का विवरण पहले दिया जा चुका है। वे दो नये तत्व किसान आन्दोलन एवं क्रांतिकारी राष्ट्रीयतावाद थे। बिहार के विभिन्न हिस्सों में किसानों के स्थानीय नेताओं ने किसानों के आन्दोलन को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बीच जारी रखा। किसानों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अक्सर सभाएँ की जाती और उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया जाता। पूर्णिया के किसान जूट के भावों में भयानक गिरावट से अत्यधिक परेशानी में थे। खासकर उन इलाकों में जहाँ के किसानों ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बढ़ती हुई कीमतों से फायदा उठाकर लगान को भावली से नकदी करा लिया था, उनकी स्थिति दयनीय हो गयी थी। इतना ही नहीं 1930–32 के बीच बिहार में हुए प्राकृतिक प्रकोपों के आक्रमण से किसानों की कमर ही तोड़ दी।[1]

1930 के अक्टूबर के बाद तो मूल्यों की गिरावट ने विपत्ति का रूप धारण कर लिया, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप के कारण रब्बी फसल के होने के आसार भी समाप्त हो गये। उत्तर प्रदेश से लगे क्षे=ों के किसानों ने उत्तरी प्रदेश के किसान नेताओं से सम्पर्क भी किया। गोपालगंज अनुमंडल के किसानों ने देवरिया जिले के किसान सभा के सभापति स्वामी सच्चिदानंद परिद्रापक को निमंि=रत कर एक सभा करायी और उनसे आग्रह किया कि किसानों के दुःखों को दूर करने के लिए वे उनका मार्गदर्शन करें।[2] इतना ही नहीं इसी क्षे= के 70–80 गाँवों के किसान किसान सभा की सभाओं में भाग लेने गोरखपुर के बैकुण्ठपुर तक गये।[3] चम्पारण के एक गाँव में कोर्ट ऑफ वाड्र्स का एक तहसीलदार जो लगान वसूलने गया हुआ था[4] गाँव के किसानों ने वहाँ के जमींदार हाजी अहमत हुसैन के विरोध में प्रदर्शन कर वहाँ के अनुमण्डलाधिकारी को जमींदार के द्वारा की गयी अवैध बसूली की जाँच करने पर मजबूर कर दिया।[5] 30–31 मई, 1931 को जहानाबाद में राजनीतिक सम्मेलन के तुरंत बाद एक किसान सभा का संगठन किया गया। उनमें जमींदारों के अत्याचारों से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये और किसानों की शिकायतें विशेशकर दानाबन्दी व्यवस्था,[6] के संदर्भ में उसकी जाँच–पड़ताल करने हेतु एक समिति की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुआ। धीरे–धीरे किसान सभाएँ विशेषकर पटना, गया, शाहाबाद और कुछ अन्य जिलों के विभिन्न स्थानों पर अधिक संगठित एवं सक्रिय होने लगीं। जमींदारों के अत्याचारों की आवाज उठाने के अतिरिक्त नहर शुलक में कमी करने की माँग की गई। स्वामी भवानीदयाल इन्हीं दिनों शाहाबाद जिले के किसानों का संगठन कर रहे थे। सरकार उनकी गतिविधि पर सावधानी से नजर रख रही थी और शाहाबाद के जिलाधिकारी ने उनके द्वारा सीमा अतिक्रमण करते हुए उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय कर लिया था।[7]

किसान आन्दोलन बिहार के और भी भागों में जोर पकड़ रहा था। पटना जिले में इसकी काररवाईयों के संदर्भ में पटना के आयुक्त 13 सितम्बर 1931 को सरकार को इस आशस की सूचना दी, ''किसान सभा दानापुर अनुमंडल, विशेशकर विक्रम और पालीगंज के इलाकों में और जोर पकड़ती जा रही थी। जमींदारों में इसको लेकर परेशानी है, क्योंकि वे सोचते हैं कि कांग्रेस जो राजनीतिक दबाव डाल सकती है, उससे सरकारी प्रयत्नों की अपेक्षा किसानों की शिकायतें दूर होने की कहीं अधिक संभावना है।[8] सितम्बर और नवम्बर 1931 के महीनों में दानापुर अनुमंडल में किसान आन्दोलन का जोर बढ़ता रहा। इससे जमींदारों में कुछ घबराहट हुई और उन्होंने

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

अनुमंडलाधिकारी को एक तरह से वचन दिया कि भविष्य में वे अपने रैयतों के साथ अधिक सद्व्यवहार करेंगे, वे पक्की रसीदें देंगे, अपने अमलों पर कड़ाई रखेंगे, आगामी दशहरा के समय रैयतों से दूध और घी नहीं लेंगे।[9]

किसानों के साथ जमींदार के कठोर व्यवहार की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था और अनुशंसा की गयी थी कि राजेन्द्र बाबू की अयक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा गठित किसान जाँच समिति के पास अपनी शिकायतें भेंजे।[10] इस जिले के किसानों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ननने पास प= भेजे तथा बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव अनुग्रहनारायण सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव को अपने प= में लिखा, ''आपका 20.10.1931 का प= मिला। उसके साथ संलग्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम गया जिले के किसानों के दो प= मिले। उस जिला में सचमुच स्थिति बहुत गंभीर है, किन्तु उस पर प्रांतीय कांग्रेस कमिटी ध्यान दे रही है। बाबू राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में जिला के किसानों की अवस्था की जाँच के लिए एक प्रतिनिधि समिति बनायी जा चुकी है। एक सप्ताह के भीतर ही वह अपना काम आरंभ कर देगी। जाँच को जो भी प्रगति होगी उपयुक्त समय पर उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी।[11] दो–एक दिन के भीतर ही राजेन्द्र प्रसाद, श्रीकृष्ण सिंह और मथुरा प्रसाद ने गया जाकर विभिन्न स्थानों पर किसानों के बयान लिये। औरंगाबाद में 12 नवम्बर, 1931 को एक सभी आयोजित की गयी। स्थानीय नेताओं के अनुरोध पर इस सज्जनों के भाषण भी हुए। 20 नवम्बर, 1931 वाले पखवारे में गया जिले में टेकारी तथा अरवल में किसान सभा के तत्वावधान में सभाएँ हुई।[12] कौशल किशोर शर्मा ने अपने शोध–प्रबंध में इन नेताओं के भाषणों की गहराई से अध्ययन कर अपने निष्कर्ष में लिखा है कि इनका यह कार्यक्रम किसानों का समर्थन जुटाने के लिए था।[13] इसके कार्यक्रम की अल्प अवधि तथा उनकी सलाह कि किसानों को समर्थन जुटाने के लिए जमींदारों का बकाया चुका देना चाहिए उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वहाँ के किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए लगान नहीं देने की आज्ञ दे रही थी, वहीं बिहार के ये कांग्रेसी नेता लगान–वसूली को स्थगित करने की माँग भी नहीं कर रहे थे।[14] यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस की किसान–जाँच समिति की कोई रपट कभी भी प्रकाश्ति नहीं हुई।

शाहाबाद जिले के किसानों के असंतोष की ओर, स्वभावतः, बिहार कांग्रेस कमिटी ने थोड़ा अधिक ध्यान दिया। शाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी ने 'नहर के वसूली की जाँच' शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की।[15] इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण सिंह, अब्दुलवारी और बलदेव सहाय किसानों की उचित माँगों का अध्ययन करने शाहाबाद गये। दो स्थानीय कांग्रेसी नेता गुप्तेश्वर पाण्डे और विंध्याचल जी के साथ उन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों की या=ा की। किसी किसी दिन तो ये कई स्थानों पर सभाएँ करते। इसमें विक्रमगंज, कोरन–सरैया और जमूली डुमरांक, चौसा आदि सभाएँ उल्लेखनीय है।[16]

बहरहाल, किसानों का यह आन्दोलन सरकार को प्रार्थनाप= भेजने तक ही सीमित रह गया। कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर चम्पारण के वरिष्ठ नेता विपिन बिहार वर्मा ने सरकार के सम्पूर्ण चम्पारण जिले में लगान–वसूली के स्थगन के लिए प=ाचार तो अवश्य किया[17], किन्तु किसानों के आन्दोलन को बढ़ाने का कोई संगठित प्रयास नहीं किया। किसानों का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, और न ही बार–बार सभाएँ ही की गयीं। परिणाम यह हुआ कि दो–तीन महीनों में ही इस आन्दोलन के नीचे की मिट्टी खिसक गयी। सरकार ने चम्पारण के केवल तीन सर्किलों में ही लगान वसूली को स्थगित कियां कहाँ भी लगान–माफी नहीं दी गयी।[18] निराश होकर किसान भी इस निर्णय पर पहुँच गये कि संघर्ष जारी रखने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के मार्फत अपनी अर्जियाँ भेजने के बदले उन्होंने स्वयं ही अर्जियाँ भेजनी शुरू कर दी।[19] सरकार ने बेतिया राज के प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिया कि यह घोषणा कर दिया जाय कि अब भविष्य में लगान–वसूली का स्थगन अथवा उसकी माफी बिल्कुल ही नहीं की जाएगी।[20] अधिकारियों ने ऐसा ही किया और यह आन्दोलन स्वयं ही समाप्त हो गया।

1931 ई. के अन्तिम महीनों में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, महेन्द्र नारायण राय, सत्य नारायण सिंह, किशोर प्रसन्न सिंह इसके संस्थापक सदस्य थे।[21] लेकिन इस दल की स्थापना ने भी किसानों को जगान के लिए कोई नया काम नहीं किया। वस्तुतः स्थिति यथावत बनी रही।

कांग्रेस के किसान संबंधी कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसानों की राजनीतिक भूमिका के महत्व को समझने के कारण कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान किसानों की माँगों को मौके के अनुसार आगे लाया।[22] कहीं–कहीं स्थानीय नेताओं के द्वारा किसानों की माँगों के समर्थन के कारण भी उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रचारित और प्रकाशित कराया।[23] लेकिन इस बीच सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि कांग्रेस ने किसानों के आन्दोलन को सही रूप देने के बजाय उन आन्दोलनों पर नियं=ण बल लगाने का ही काम किया।[24]

इस तरह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दरम्म्यान स्थानीय स्तर पर किसान सभाएँ तथा स्थानीय कांग्रेसी नेता दोनों ने किसानों को बिहार में कई जगह पर लगान न देने की सलाह दी और कांग्रेस प्रांतीय स्तर पर गांधीवादी सीमाओं के अन्दर किसानों की समस्याओं का समर्थन करती हुई बिहार की आबादी के सबसे बड़े भाग का व्यापक समर्थन लेने में सफल रही।

संदर्भ सूची :

1. के.के. शर्मा, भावली जमीन अपने उपजाये हुए अनाज के ही कुल भाग को जमींदार को लगान के रूप में देने की पद्धति थी। यह बिहार में खासकर दक्षिणी बिहार में प्रचलित थी।
2. डी.एन. घनागारे, बिहार का राष्ट्रीय आन्दोलन और गांधी, पृ. 120.
3. तिरहुत प्रमण्डल के आयुक्त का बिहार के मुख्य सचिव को लिखा गया पत्रा, 7 जनवरी, 1931, फाईल 49/31, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
4. बिहार सरकार, पाक्षिकट रपट, फरवरी, 1931.
5. कौशल किशोर शर्मा, पूर्वोक्त।
6. लगान देने की दानाबन्दी व्यवस्था के अनुसार किसानों को जमींदार के अमलों द्वारा फसल तैयार होने के समय निश्चित कर दी गयी अनाज की मात्राा जमींदार को लगान के रूप में देनी पड़ती थी।
7. पटना आयुक्त की जुलाई, 1931 के पहले पक्ष की पाक्षिक रपट, बिहार राज्य अभिलेखागार।
8. के.के. दत्त, पूर्वोक्त।
9. पटना आयुक्त की पाक्षिक रपट, अक्टूबर 1931, दूसरा पक्ष।
10. पटना आयुक्त, पाक्षिक रपट, 1931 द्वितीय पखवारा।
11. पुलिस रिपोर्ट, 2 नवम्बर, 1931.
12. गया पुलिस अधीक्षक की रपट, 16 दिसम्बर, 1931.
13. कौशल किशोर शर्मा, पूर्वोक्त।
14. वही।
15. शाहाबाद जिलाधीश के द्वारा बिहार सरकार के मुख्य सचिव को दिया गया डी.ओ. पत्र संख्या 1130–सी., 7 दिसम्बर, 1931, फाई, 34/31, बिहार राज्य अभिलेखागार।
16. के.के दत्त, वही, पृ. 239.
17. विपिन बिहारी शर्मा का बेतिया राज के प्रबंधक को भेजा गया पत्र, 31 अगस्त, 1931, फाईल 34/31, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
18. सभी सर्किल ऑफिसरों को भेजा गया परिपत्र, 7 अगस्त, 1931, फाईल 34/31, बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना।
19. डी.ओ. लेटर नं. डब्ल्यू. सी., तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त जे.सी. स्कॉट के द्वारा बिहार सरकार के सचिव एम.जी. हैलट को भेजा गया पत्र, 12 सितम्बर, 1931.
20. बिहार सरकार, पाक्षिकपट, द्वितीय पखवारा, नवम्बर, 1931.
21. द सर्चलाइट, 6 दिसम्बर, 1931.
99. वही, के.के. शर्मा, पूर्वोक्त।
22. वही।
23. वही।
24. वही।